अध्याय–17
नियोजन विभाग एवं योजना मण्डल
(Department of Planning and Planning Board)

नियोजन सामान्यतः अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ा होता है, भारत में विकास की समस्याओं की जटिल प्रकृति के कारण नियोजन की आवश्यकता हुई, कि क्या किया जाना चाहिए और यह कैसे किया जाए, यह सुनिश्चित करना ही नियोजन है। नियोजन व योजना परस्पर पर्यायवाची है।

प्रस्तावना :

समता के साथ आर्थिक विकास की जिम्मेदारी मात्र नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) तथा संघीय सरकार की ही नहीं होती है। हमारे देश ने जिस संघीय लोकतांत्रिक प्रकृति को अपनाया है उसका यह भी अर्थ है कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास की प्रक्रिया सचमुच में राष्ट्रीय होनी चाहिए जिसमें अनेक भागों की सहभागिता होनी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि योजनाओं के निर्माण तथा कार्यान्विति में सरकार के विविध स्तरों को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हमारे संविधान ने विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया है जो कि क्रमशः संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची होती हैं। इसमें राज्य सरकारों के राजस्व (धन) उगाही के साधनों को भी रेखांकित किया गया है यथा उन्हें बिक्री कर तथा भूमि पर लगान लगाने तथा केन्द्र से वैधानिक दृष्टि से हस्तांतरित वित्तीय साधनों/स्रोतों की प्राप्ति का भी अधिकार दिया गया है। इसलिए हमारे संविधान द्वारा विकास कार्यवाहियों तथा स्रोतों/साधनों के जुटाने हेतु राज्यों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो राज्य सरकारों की योजनाओं को उचित महत्त्व दिए बिना राष्ट्रीय योजनाओं को भी तैयार नहीं किया जा सकता ।

हकीकत यह है कि राज्य योजनाएँ कुल सार्वजनिक क्षेत्र के करीब आधे हिस्से के बराबर की हिस्सेदार हैं। वे राज्य सूची की अनेक विकास कार्यवाहियों को समाहित करते हैं यथा वे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, सहकारिता, सामुदायिक सेवायें तथा अन्य क्षेत्रों की विकास गतिविधियों को भी सम्मिलित करते हैं तथा संचालित करते हैं। वे इसके साथ राज्य स्तर पर अनेक स्रोतों/साधनों के जमा करने का भी दायित्व निभाते हैं और इनके अतिरिक्त संघीय सरकार से भी अपना अंशदान/हिस्सा हासिल करते हैं, जिससे वे विकास योजना के एक भाग का वित्तीय प्रबन्ध कर सकें।

भारत एक संघवादी (Union) राज्य है, अतः यहाँ विकास हेतु सहकारी संघवाद पर बल दिया गया है। सहकारी संघवाद वह व्यवस्था है जिसमें केन्द्र तथा राज्य मिल–जुलकर सहयोगी व पूरक भावना से अपने–अपने दायित्वों का निर्वहन करते है, अतः देश में बनने वाली विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं की प्रभावशीलता पर भी निर्भर करती है।

भारत में राज्य स्तर पर नियोजन तंत्र :

भारत में राज्य स्तर पर योजना की एक प्रमुख संस्था योजना विभाग है। इसके कार्य तथा भूमिकाएं काल के प्रवाह के साथ बदलती रही हैं, तदापि इसकी प्रमुख सेवा अभी भी राज्य योजना प्रक्रिया से ही संबंधित रही है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह पाया कि यह विभाग राज्य योजना से संबंधित बहुमुखी भूमिकाओं को निभाता रहा है, चाहे वह योजना–निर्माण की हो या उसके प्रगति प्रतिवेदन की हो इन सभी प्रबन्धकीय कार्यों में ''स्टेट ब्यूरो ऑफ इकॉनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स'' उसकी सहायता करता है।

पूर्व में राज्यों के योजना विभागों की तकनीकी योग्यताओं को बढ़ाने की दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी था। इसलिए वर्ष 1972 में योजना आयोग ने इन विभागों की कुशलता बढ़ाने के लिए राज्यों को अग्रांकित–विशिष्ट इकाइयां बनाने का सुझाव दिया–विशेषतः जहां पर कि इनकी स्थापना ही नहीं की गई थी, ये है

1. सबसे पहले दूरगामी योजना इकाई (पर्सपेक्टिव प्लानिंग यूनिट) स्थापित की जाए जिससे वह भविष्य को ध्यान में रखकर योजना बनाएं।
2. ''मॉनिट्रिंग'' या अनुश्रवण को योजना–निर्माण तथा मूल्यांकन की इकाई बनाएं।
3. परियोजना (प्रॉजेक्ट) मूल्यांकन इकाई स्थानीय की जाए।
4. जिला/योजना की इकाई बनाई जाए।
5. योजना समन्वय या तालमेल की इकाई स्थापित की जाए।
6. मानव शक्ति तथा रोजगार बढ़ाने की खास इकाई भी संगठित की जाए।

तथा यह भी कहा गया कि यदि राज्य योजना विभागों को ऊपर लिखित तरीकों से मजबूत बनाना चाहेंगे तो उन्हें इसके लिए उचित मात्रा में केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

संरचना :

भारत के विभिन्न राज्यों में योजना प्रक्रिया की बेहतर समझ हेतु राज्यों के योजना विभागों की संरचना का सामान्य अध्ययन विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। किसी भी कार्यालय की स्पष्ट एवं पर्याप्त संरचना से ही प्रभावशाली ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव है। यद्यपि इस विषय में अनेक अन्तर–राज्यीय भेद पाए जाते हैं, तथापि विभिन्न राज्यों के योजना विभागों की संरचना के कुछ साझे बिन्दुओं को इस प्रकार उभारा जा सकता

है। प्रत्येक राज्य के सचिवालय में एक योजना विभाग (नियोजन विभाग) होता है, जिसकी अध्यक्षता या तो सचिव अथवा अन्य नामकरण का व्यक्ति यथा विकास–आयुक्त करता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रारम्भ में योजना विभाग राज्यों के वित्त विभागों के अंग–प्रत्यंग के रूप में कार्य करते रहे हैं। शनैः शनैः उनकी एक अलग ''पहचान'' कायम होती चली गई और वे प्रथक विभाग के रूप स्थापित होते गए। जहाँ तक इन योजना विभागों की कार्मिक (अधिकारी–कर्मचारी) शक्ति का सवाल है वह भी राज्य दर राज्य बदलती रही है। इस विभाग में योजना कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी (यथा राजस्थान में RAS, अन्य राज्यों में PCS), तकनीकी जानकारी के विषेशज्ञ अधिकारी तथा अन्य सहायक कर्मचारी करते हैं। ये प्रायः प्रशासनिक पृष्ठभूमि के होते हैं, अतः सामान्य प्रशासन का कार्य तो अच्छे ढंग से कर सकते है, लेकिन उनकी योजना तकनीकों की जानकारी शून्य होती है। नतीजतन उनकी भूमिका आमतौर पर अप्रभावी रहती है।

योजना विभाग का कार्य विविध प्रभागों में विभाजित होता है, तथा प्रत्येक प्रभाग का प्रभारी एक संयुक्त सचिव या उप–सचिव स्तर का अधिकारी होता है। पर जहाँ तक इन प्रभागों की संख्या, निपटे जाने वाले विषयों तथा कार्मिकों का सवाल है–उनके विषय में राज्यों में भारी परिवर्तन पाया जाता है। प्रायः सभी योजना विभागों में एक निर्णय इकाई होती है जो कि योजना–निर्माण का काम करती है। इसी भांति अनेक राज्यों में विभाग में विभिन्न ऐसे खण्ड होते हैं जो कृषि, योजना, वित्त, मूल्यांकन, मॉनिट्रिंग, मानवशक्ति, आकलन तथा रोजगार की समस्याओं से निपटते हैं। आजकल पंचायतीराज के सुदृढ़ीकरण होने से राज्यों में क्षेत्रीय तथा जिला योजना से सम्बद्ध प्रभाग भी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, जिस मायने में राज्यों में कार्यरत योजना विभागों में कार्य विभाजन हुआ है उसके विषय में कोई एकरूपता नहीं पाई जाती है।

योजना विभागों की सबसे अहम भूमिका अन्य विभागों के साथ तालमेल की होती है। तथा दूसरे उनकी यह भी जिम्मेंदारी होती है कि वे मंत्रीमंडल तथा विधायिका के समक्ष राज्य योजना बनाकर पेश करें। इसी तरह जहां राज्य सीमा के बाहर उनकी भूमिका का सवाल है उस विषय में योजना आयोग (अब नीति आयोग) तथा केन्द्रीय कार्य समूहों के साथ भी अच्छे संबंध विकसित करते हैं। इसी प्रसंग में न केवल समय–समय पर (संघीय) नीति आयोग के साथ विचार–विमर्श करते रहते हैं वरन् वे इसके साथ ही पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजना की तैयारी, मॉनिट्रिंग तथा मूल्यांकन के कामों से भी जुड़े रहते हैं। इसलिए राज्यों में योजना विभाग अधिकांश योजना अभ्यास करते हैं। पर इसके साथ ही वहाँ पर राज्य योजना मण्डल भी पाए जाते हैं। जो कि इससे मिलते–जुलते प्रकार्य (फंक्शन्स) करते रहते हैं। इस प्रसंग में बुनियादी सवाल के रूप में यह पूछा जाता है कि इन दोनों इकाइयों में से कौन–सी इकाई प्राथमिक रूप से योजना के लिए उत्तरदायी होती है।

इसी से जुड़ा मुद्दा राज्य योजना मंडलों तथा योजना विभागों के बीच कार्य विभाजन का होता है, एवं उनके बीच तालमेल बैठाने की भी समस्या खड़ी रहती है। यह एक मानी हुई बात है कि राज्य योजना मण्डल की भूमिका प्रायः मंत्रणा देने वाली यानी सलाहकार मात्र होती है, तथा उसका कार्य मंत्रिमण्डल को कतिपय तर्क सम्मत नतीजों तक पहुंचाना होता है। भारत में योजना की एक प्रमुख कमी यह भी है कि यहाँ पर जरूरत से ज्यादा केन्द्रीयकरण की ओर रूझान पाया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि राज्य योजना मण्डल लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के जरिए विकास पाने की दिशा में, चाहे छोटा ही सही, पर एक सही कदम है, यानी वे विकास की ओर चलने के लिए एक नई दिशा का तो संकेत देते ही हैं। यद्यपि इस दिशा में देश के विभिन्न राज्यों में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है, तथा वे विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ रहे है।

राजस्थान में नियोजन की आवश्यकता :

राजस्थान राज्य प्राचीन समय में कई पृथक–पृथक देशी रियासतों में विभक्त था। इन रियासतों में लोकतंत्र का अभाव था तथा रियासती शासक जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, अतः प्राचीन समय से ही राजस्थान पिछड़ा राज्य बना रहा। राज्य में प्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना भारत के स्वतंत्र होने के बाद 7 अप्रेल, 1949 को हुई। इस समय राजस्थान प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। स्वतंत्रता के समय राज्य में केवल 8.5 प्रतिशत साक्षरता थी, पिछड़ी हुई कृषि प्रणाली थी, राज्य के दो तिहाई क्षेत्र में मरूस्थल था, पेयजल की अनुपलब्धता थी। खनिजों के खनन का कार्य अत्यन्त सीमित था। राजस्थान निर्माण (30 मार्च, 1949) के समय मात्र 15 छोटे विद्युत गृह थे जिनकी कुल स्थापित विद्युत क्षमता मात्र 13.27 मेगावाट थी। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रारम्भ से ही औद्योगिक पिछड़ापन, आजादी के समय राज्य में सड़कों की असंतोषजनक स्थिति सड़क घनत्व 3.96 किमी प्रति 100 वर्ग किमी था। अनेक जिला मुख्यालय भी उस समय सड़क से जुड़े हुए नहीं थे। अकाल एवं सुखा जो कि राजस्थान की स्थायी त्रासदी थे, निर्धनता एवं बेरोजगारी का बड़ा स्तर, निम्न जीवन स्तर, कुपोषण एवं भीषण महामारियाँ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की नकारात्मक दशाएँ, सामाजिक–आर्थिक न्याय में असन्तुलन, ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का अभाव आदि अनेक क्षेत्र में राजस्थान की तात्कालिक स्थिति अत्यंत सोचनीय थी, बिना सुनियोजित नियोजन के इन नकारात्मक घटकों से उभर पाना अत्यंत जटिल एवं दुष्कर था। अतः राज्य में नियोजन प्रणाली अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई।

राजस्थान में नियोजन विभाग (Planning Department in Rajasthan) –

राज्य की उपर्युक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जुलाई, 1953 में पहली बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नियोजन विभाग की स्थापना की गई। नियोजन एवं योजना एक ही शब्द के पर्याय है। 1964 में इस विभाग का दायित्व योजना राज्य मंत्री को दिया गया लेकिन 1981 से पुनः मुख्यमंत्री के पास इस विभाग का दायित्व आ गया। बाद के वर्षों में मुख्यमंत्री के साथ योजना राज्य मंत्री का पद भी बना रहा। योजना राज्य मंत्री इस विभाग का दैनन्दिन प्रशासन तथा निर्देशन कार्य इत्यादि सम्पादित करते है। व्यवहार में योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। यह राज्य की प्राथमिकता

है। राज्य का विकास इसी से जुड़ा होता है। अतः इनमें मुख्यमंत्री की कुशल व प्रभावी भूमिका स्वतः ही बेहद आवश्यक हो जाती है।

संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विकास :

राज्य में योजना विभाग के संगठन में समय–समय पर परिवर्तन आता रहा है। राजस्थान में सांगठनिक स्तर पर प्रारम्भ में विकास आयुक्त एवं विकास विभाग के सचिव को ही योजना विभाग का सचिव बनाया गया था। सचिव की सहायता के लिए एक उपसचिव नियुक्त किया गया। सन् 1955 में अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद सृजित कर योजना विभाग उसे सौंपा गया। 1961 के आरम्भ तक अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना विभाग का भी सचिव बना रहा। अप्रेल, 1961 में इस विभाग का कार्यभार मुख्य सचिव को सौंपा गया। सन् 1967 तक इस विभाग में दो उपसचिव के पद सृजित किये गए। 1968 में वार्षिक योजनाओं और अलग–अलग क्षेत्रों में नियोजन की प्रगति का विश्लेषण करने के उद्देश्य से योजना विभाग में एक प्रगति अधिकारी का पद भी बनाया गया। उस समय यह पद सहायक सचिव के पद के समकक्ष था किन्तु वर्तमान में यह पद उपसचिव के समकक्ष है।

सन् 1967 तक राजस्थान राज्य में योजना के लिए नियोजन विभाग ही उत्तरदायी था। यह विभाग मुख्यमंत्री अथवा वित्तमंत्री के अधिकार क्षेत्र में रहता था और राज्य का मुख्य सचिव ही इस विभाग का सचिव हुआ करता था। मुख्य सचिव की सहायता के लिए एक उपसचिव होता था, जो स्वतंत्र रूप से योजना विभाग का पूर्णकालीन कार्य देखता था। इसके अतिरिक्त नियोजन विभाग में पाँच और भी अधिकारी थे– निदेशक जनशक्ति, प्रगति अधिकारी, सहायक सचिव, सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी। योजना विभाग के सभी अधिकारी राजस्थान सांख्यिकी एवं सचिवालय सेवा से संबंधित थे। उच्चाधिकार प्राप्त एक राजस्थान नियोजन समिति भी थी, जो योजना के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के लिए उत्तरदायी थी और योजना प्रगति पर भी दृष्टि रखती थी। मुख्यमंत्री, मंत्रीमण्डल के सदस्य, उपमंत्री (नियोजन), संसद के प्रभावशाली सदस्य, जिला परिषदों के प्रमुख, प्रभावी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाशास्त्री और उद्योगपति इस समिति के सदस्य होते थे। मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त और विकास आयुक्त इस समिति के स्थायी सदस्य होते थे। समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती थी। योजना विभाग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन तथा सामंजस्य स्थापित करना, दीर्घकालीन योजना निर्माण एवं जनशक्ति नियोजन था।

सन् 1968 में योजना विभाग के उत्तरदायित्वों को बढ़ाने के लिए ''मूल्यांकन विभाग तथा जिला गजेटियर्स निदेशालय'' भी इसके साथ जोड़ दिये गये। जनशक्ति नियोजन के उपसचिव को मूल्यांकन एवं गजेटियर्स विभाग का अवैतनिक निदेशक नियुक्त किया गया। सन् 1992 में राजस्थान में योजना सचिव का पद सृजित किया गया क्योंकि मुख्य सचिव की व्यस्तताओं को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि नियोजन विभाग का पृथक शासन सचिव होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, योजना राज्य मंत्री तथा राज्य सरकार के विभागों, केन्द्रीय योजना आयोग एवं मंत्रालयों के साथ योजनाओं के क्रम में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेंदारी विभाग के सचिव की थी। सचिव को सहायतार्थ बहुत से अन्य अधिकारी–कर्मचारी विभाग में कार्यरत थे। इसमें सर्वप्रमुख हैं विशिष्ट शासन सचिव योजना तथा निदेशक प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट। इस पद का सृजन सन् 1972 में किया गया था। इससे पूर्व विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की सहायतार्थ एक उप सचिव का पद सृजित हो चुका था। कालान्तर में संयुक्त सचिव, उपसचिव के अनेक पद योजना विभाग में सृजित किए गए। सचिव तथा विशिष्ट शासन सचिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी होते हैं जबकि संयुक्त सचिव, उपसचिव तथा निदेशक पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) या राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं। सहायक सचिव एवं अनुभाग अधिकारी पद, राजस्थान सचिवालय सेवा से एवं अधीनस्थ पद राजस्थान मंत्रालयिक सेवा तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखाकार सेवा से भरे जाते है। योजना विभाग के अधीन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जनशक्ति एवं गजेटियर्स निदेशालय तथा मूल्यांकन संगठन कार्यकारी संगठनों के रूप में कार्यरत हैं तथापि ये नियोजन के सहायक अभिकरण ही हैं, नियोजन विभाग के प्रत्यक्ष कार्यकारी निकाय नहीं है। दिनांक 26 मई, 1998 में जनशक्ति तथा जिला गजेटियर्स नामक दो विभागों का विलय करके ''जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग'' नाम दिया गया है। जिला गजेटियर्स विभाग 1960 में जिलों की सूचना, इतिहास, संदर्भ तथा संसाधनों की सूचना प्रकाशन के लिए गठित हुआ था। मूल्यांकन संगठन का गठन मार्च, 1960 में किया गया था। सचिवालय स्तर पर विभाग में आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवाओं के कई अधिकारी संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक तथा सांख्यिकी अधिकारी के रूप में पद स्थापित है।

योजना विभाग की आन्तरिक संगठनात्मक रचना कई ग्रुप में विभक्त की गई हैं। विभाग में कई प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। सर्वप्रथम सन् 1975 में प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रकोष्ठ की स्थापना हुई थी, जिसे 25 मई, 1991को त्वरित कार्य मूल्यांकन प्रकोष्ठ नाम दिया गया था। यह प्रकोष्ठ 2 जून, 1995 से प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट में समाहित हो चुका है। नियोजन विभाग में 1982–83 में बीस सूत्री कार्यक्रम प्रकोष्ठ, 1986–89 में कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, 1988–89 जिला नियोजन प्रकोष्ठ, 1995–96 में प्रोजेक्ट मॉनिट्रिंग इकाई, 1996–97 में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। आगे भी नियोजन से जुड़ी इकाइयाँ नियोजन विभाग में स्थापित की जाती रही है। आगे चलकर लोक–निजी भागीदारी (Public-Private Partnership-PPP) एवं भामाशाह योजना प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। नियोजन विभाग अनेक ग्रुप में बंटा है जो योजनाओं से संबंधित अलग–अलग कार्य संभालते है। यथा ग्रुप–1 राज्य आयोजना तंत्र तथा राज्य आयोजना बोर्ड के बजट संबंधी कार्य देखता है। ग्रुप–2 लोक सभा, राज्य सभा, विधानसभा प्रश्नों के जवाब, राष्ट्रीय विकास परिषद् से संबंधित कार्य देखता है। ग्रुप–3 के पास जिलेवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण व वार्षिक योजना प्रगति का प्रतिवेदन, जिलेवार लक्ष्यों का प्रकाशन आदि कार्य है।

ग्रुप–4 राज्य की पंचवर्षीय योजना का निर्माण एवं मध्यावधि समीक्षा आदि कार्य संभालता है। ग्रुप–5 वार्षिक योजनाओं के प्रारूप तैयार करने के साथ सिंचाई एवं बाढ़, ऊर्जा, परिवहन, चिकित्सा, सीवरेज, जल प्रदाय आदि कार्य सम्भालता है। ग्रुप–6 राज्य में बैंकिग संबंधी गतिविधियां सम्भालता है। ग्रुप–7 रोजगार तथा जनशक्ति आयोजना से संबंधित सूचनाओं का कार्य करता है। राजस्थान सरकार योजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु अनेक समितियों का निर्माण भी करती है। ये समितियाँ नियोजन विभाग के मार्गदर्शन में कार्य करती है। इन्हें आयोजना तथा विकास समन्वय समिति के नाम से जाना जाता है। इनमें ग्रामीण विकास, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख हैं।

नियोजन में संलग्न पदाधिकारी –

मुख्यमंत्री — राज्य की योजना मुख्यमंत्री की देखरेख में तैयार की जाती हैं। मुख्यमंत्री विभागों के मंत्रियों के परामर्श से राज्य की योजना को अन्तिम रूप देता है। मुख्यमंत्री राज्य की योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री, नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) के उपाध्यक्ष तथा नीति आयोग के अन्य सदस्यों और केन्द्रीय मंत्रियों से सम्पर्क करता हैं और राज्य की योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करता हैं। राज्य की योजनाओं को अन्तिम स्वीकृति तो नीति आयोग तथा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा दी जाती है। अतः मुख्यमंत्री योजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राज्य योजना मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। सामान्यतः मुख्यमंत्री ही राज्य का योजना मंत्री भी होता है।

राज्य योजना मंत्री : मुख्यमंत्री की सहायता तथा योजना विभाग के क्रिया–कलापों के संचालन के लिए योजना राज्यमंत्री होता हैं जो योजना संबंधी कार्यों में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कार्य करता है। यह मंत्री राज्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है तथा जिला योजना एवं पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करता है। विभिन्न मामलों की जाँच करता हैं तथा राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले योजना संबंधी प्रश्नों क उत्तर देता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर वह स्वयं ही तैयार करता है।

शासन सचिव : मुख्य सचिव की व्यस्तता को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि योजना विभाग का पृथक से शासन सचिव होना चाहिए अतः सन् 1992 में राजस्थान में शासन सचिव, योजना का पद सृजित किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री, योजना राज्यमंत्री, मुख्य सचिव या राज्य सरकार के विभागों सहित केन्द्रीय योजना आयोग एवं मंत्रालयों के साथ योजनाओं के क्रम में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेंदारी योजना विभाग के शासन सचिव की है। वस्तुतः राज्य योजना विभाग में शासन सचिव के अधिकार एवं उत्तरदायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा व्यापक है।

विशिष्ट शासन सचिव : शासन सचिव के कार्यों की सहायता के लिए एक विशिष्ट शासन सचिव होता है। विशिष्ट शासन सचिव विभाग की आन्तरिक कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है। यह राज्य योजना मंडल का भी सदस्य सचिव होता है। यह परियोजना मूल्यांकन इकाई का निदेशक भी होता है। इसके अधीन परियोजना मूल्यांकन इकाई का संयुक्त सचिव होता है।

विशेष सचिव (नियोजन) : नियोजन हेतु एक विशेष सचिव होता है। इसके अधीन वरिष्ठ उपसचिव, उपसचिव (ग्रुप–1ए), निदेशक राज्य नियोजन बोर्ड एवं संयुक्त निदेशक समन्वय तथा–लोक–निजी भागीदारी (PPP) होते है।

संयुक्त शासन सचिव :

वर्तमान में विभाग में चार संयुक्त शासन सचिव कार्यरत है। इन चारों के पास क्रमशः नियोजन वित्त, जनशक्ति, अनुश्रवण (Monitoring) एवं संस्थागत वित्त का प्रभार है। सामान्यतः संयुक्त शासन सचिव योजनाओं के पर्यवेक्षण का कार्य करते है। संयुक्त शासन सचिवों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन में सहायता हेतु संयुक्त–निदेशक (समन्वय), विशेषाधिकारी, सहायक सचिव तथा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर आदि होते हैं। इनके कार्य अग्रलिखित है :

संयुक्त शासन सचिव (योजना वित्त) :

संयुक्त शासन सचिव (योजना वित्त) निम्नलिखित कार्यों को देखता है :

1. योजना निर्माण–वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाएँ
2. आन्तरिक विभागीय मामले
3. केन्द्रीय सहायता

संयुक्त शासन सचिव (जनशक्ति) :

संयुक्त शासन सचिव (जनशक्ति) योजनाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों की प्रगति प्रतिवेदन की जाँच करता हैं :

1. प्राकृतिक साधनों की समिति
2. परिव्यय एवं साधन समिति एवं
3. कृषि कार्यक्रमों की समिति

संयुक्त शासन सचिव (संस्थागत वित्त) :

संयुक्त शासन सचिव (संस्थागत वित्त), यह राज्य आयोजना मण्डल से संबंधित कार्य एवं कार्यकारी समूह के कार्य देखता है।

संयुक्त शासन सचिव (मॉनिट्रिंग) :

संयुक्त शासन सचिव (Monitoring) निम्नलिखित कार्यों को देखता हैं :

1. परियोजना के संदर्भ में व्यय की प्रगति एवं पुनर्भरण के दावों का पर्यवेक्षण
2. विभिन्न मंत्रालयों व विभागों से सम्पर्क स्थापित करना, तथा
3. राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण।

आगे राजस्थान में नियोजन विभाग की वर्तमान संरचना का चार्ट दिया गया है।

विशिष्ट सचिव, विशेष सचिव एवं संयुक्त सचिव से नीचे पदानुसार संयुक्त सचिव (पी.एम.यू.), वरिष्ठ उप सचिव, निदेशक (राज्य नियोजन बोर्ड), विशेषाधिकारी (योजना), अनेक संयुक्त निदेशक (समन्वय, लोक–निजी भागीदारी, संस्थागत वित्त, टी.पी.पी.) पदस्थापित है। इनसे नीचे अनेक सांख्यिकिकी अधिकारी एवं अन्य स्टाफ पदस्थापित है।

नियोजन विभाग का संगठन

मुख्यमंत्री

योजना (राज्यमंत्री)

सचिव (नियोजन)

विशिष्ट सचिव तथा निदेशक पी.एम.यू.	विशेष सचिव, (नियोजन)	संयुक्त सचिव (नियोजन वित्त)	संयुक्त सचिव (जन शक्ति)	संयुक्त सचिव (मोनिट्रिंग)	संयुक्त सचिव (आधारभूत संरचना)	सी.ई.ओ. (VSDC)

नियोजन विभाग के कार्य (Functions of Planning Department) :

राजस्थान राज्य का योजना विभाग राज्य के सुनियोजित एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है। योजना विभाग का मुख्य कार्य राज्य की वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण से सम्बन्धित है। योजना विभाग के प्रमुख कार्य व दायित्व इस प्रकार है :

1. वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण :

योजना विभाग राज्य के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं तथा स्थानीय योजनाओं का निर्माण करता है। इन योजनाओं का निर्माण करते समय यह विभाग राज्य की अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं एवं क्षेत्रों को ध्यान में रखता है। पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएँ बनाते समय राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखा जाता है। इन योजनाओं का निर्माण करते समय योजना विभाग विभिन्न सरकारी विभागों एवं अभिकरणों से सम्पर्क करता है और उनसे आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करता है। इन योजनाओं के परिव्यय पर विचार एवं मूल्यांकन के लिए यह बैठकें भी आयोजित करता है।

2. दीर्घकालीन योजना :

योजना विभाग राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को उपयुक्त दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन योजनाएँ तैयार करता है। इन योजनाओं की विशेष समितियों द्वारा जाँच की जाती है।

3. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का निर्देशन :

राज्य के समुचित ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए है। इस दिशा में सामुदायिक परियोजनाओं एव पंचायतीराज संस्थाओं ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई, उद्योग, सफाई, जल व्यवस्था, यातायात, सड़क निर्माण, परिवार नियोजन आदि क्षेत्रों में प्रशंसनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की है। इस हेतु योजना विभाग पूरे राज्य के लिए योजना बनाते समय देहाती क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ये लक्ष्य ग्राम पंचायत समिति व जिला परिषद् के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। राज्य सरकार इन स्थानीय निकायों को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराती है। योजना विभाग इस बात का निरीक्षण एवं निर्देशन करता है कि सामुदायिक विकास के ये सभी कार्यक्रम सही तरीके से लागू किये जा रहे हैं या नहीं।

3. योजना हेतु वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करना :

यह विभाग राज्य के नियोजत क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों की प्राप्ति हेतु उचित प्रबंध करता है। योजना विभाग राज्य सरकार के वित्त विभाग से सम्पर्क करके वित्तीय संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उसी के अनुरूप राज्य की योजनाएँ बनाने का प्रयास करता है। भारतीय योजना आयोग तथा वित्त विभाग से राज्य का योजना विभाग निरन्तर सम्पर्क बनाये रखता है तथा योजनाओं के लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था करता है।

4. समन्वय सम्बन्धी कार्य :

केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, योजना आयोग (नीति आयोग), वित्त विभाग, मंत्रिमण्डल, विशिष्ट योजना संगठन (अब ग्रामीण विकास विभाग), जिला नियोजन समितियों तथा अन्य सम्बद्ध संगठनों से राज्य योजना विभाग समन्वय स्थापित करता है।

5. मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य :

योजना विभाग राज्य की योजनाओं का सामाजिक आधार पर मूल्यांकन करता है तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करके राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है।

योजनाओं का मूल्यांकन करके योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन में रहने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार अपने प्रशासनिक तंत्र को सजग बनाने का कार्य करती है।

राजस्थान राज्य में योजना प्रक्रिया (Planning Process in Rajasthan State) :

राजस्थान में वर्तमान योजना प्रक्रिया ने अत्यन्त व्यवस्थित व आधुनिक स्वरूप धारण कर लिया हैं राजस्थान में योजना प्रक्रिया विभिन्न चरणों से गुजरती है और इसके बाद उसे क्रियान्वित किया जाता है। योजना प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। राजस्थान में दो प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है – (1) पंचवर्षीय योजना (2) वार्षिक योजना

(1) पंचवर्षीय योजना का निर्माण (Five Year Plan Formulation) :

पंचवर्षीय योजना का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में पूरा होता है जो अग्रलिखित है :

प्रथम चरण : राज्य का योजना विभाग पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण से संबंधित आरम्भिक कार्य शुरू करता है। इसके

अन्तर्गत योजना विभाग कार्यरत योजना की आधी अवधि पूर्ण होने के बाद उसके कार्यों का मूल्यांकन करना शुरू कर देता है।

द्वितीय चरण : राज्य योजना विभाग पिछली पंचवर्षीय योजना की प्रगति व उनके अनुभव के आधार पर उनका मूल्यांकन कार्य करता है तथा राज्य के नीति–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय साधनों के आधार पर यह निर्णय करता है कि, आगामी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या होंगे तथा उनमें किन–किन क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल दिया जायेगा। इस योजना नीति के आधार पर ही राज्य सरकार पंचवर्षीय योजना के निर्माण हेतु विभिन्न कार्यात्मक समूहों की रचना करती है।

तृतीय चरण : विभिन्न कार्यात्मक समूह सभी प्रासंगिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजनाओं के प्रारूप तैयार करते हैं। सभी कार्यात्मक समूह अपने–अपने प्रस्तावों को योजना विभाग को प्रेषित करते है।

चतुर्थ चरण : राज्य का योजना विभाग कार्यात्मक समूहों से प्राप्त प्रस्तावों का गहन अध्ययन करता है तथा राज्य के वित्तीय साधनों एवं सम्भावित केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों के आधार पर पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करता है। इस चरण में मुख्यतया योजना विभाग भौतिक नियोजन का वित्तीय नियोजन के साथ सन्तुलन स्थापित करता है। इसके लिए वह कार्यात्मक समूहों से प्राप्त प्रस्तावों का एकीकरण व संश्लेषण करता है इस संश्लेषण के दौरान योजना विभाग विभिन्न प्रशासकीय विभागों एवं वित्त विभाग के साथ निकट सम्पर्क में रहता है।

पंचम चरण : योजना विभाग द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजना का प्रारूप (ड्राफ्ट) राज्य योजना मण्डल (Planning Board) को प्रेषित किया जाता है। इस बोर्ड में योजना के विभिन्न पहलुओं पर राजनीतिज्ञों, प्रशासकों व विषय विशेषज्ञों द्वारा गम्भीर विचार–विमर्श किया जाता है। यदि यह मण्डल उचित समझे तो योजना के प्रारूप में संशोधन कर सकता है।

शष्ठम चरण : योजना के प्रारूप को योजना मण्डल की सिफारिशों सहित मंत्रिमण्डल (केबिनेट) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इनमें यदि कोई संशोधन करना हो तो उसका संशोधन करके राज्य की केबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।

सप्तम चरण : मंत्रिमण्डल द्वारा सुझाये गये संशोधन सहित योजना प्रारूप (Draft Plan) को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के योजना आयोग (अब नीति आयोग) को प्रेषित किया जाता है। नीति आयोग में राज्य की योजना का विस्तृत विश्लेषण आयोग के कार्यात्मक समूहों (Working Groups) द्वारा किया जाता है। कार्यात्मक समूहों की सिफारिशों को नीति आयोग में ''कार्यक्रम सलाहकार'' के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। कार्यक्रम सलाहकार इसको आयोग के उपाध्यक्ष को प्रेषित कर देता है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि कार्यात्मक समूहों एवं कार्यक्रम सलाहकारों से राज्य के अधिकारियों का निरन्तर सम्पर्क बना रहता है।

अष्टम चरण : अष्टम चरण के अन्तर्गत नीति आयोग के उपाध्यक्ष व राज्य के मुख्यमंत्री के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श होता है। इसी बैठक में राज्य को नीति आयोग द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में भी अन्तिम निर्णय ले लिया जाता है इस प्रकार इस चरण की समाप्ति पर राज्य की पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप प्राप्त होता है।

अन्तिम चरण : नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) द्वारा राज्य की योजना के प्रारूप (ड्राफ्ट प्लान) को अन्तिम रूप दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना के प्रलेख को प्रकाशित किया जाता है। प्रलेख में योजना की विशिष्ट एवं सामान्य जानकारियों का वर्णन होता है। यह प्रलेख विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को उनके विषय से संबंधित योजना के बारे में सूचना देने के लिए भेजा जाता है। इस पर विभिन्न विभाग व संस्थाएं योजना प्रारूप के आधार पर योजना का अन्तिम रूप तैयार करते हैं। यही पंचवर्षीय योजना के निर्माण का अन्तिम चरण है।

वार्षिक योजना का निर्माण :

राज्य की वार्षिक व पंचवर्षीय योजना के निर्माण हेतु नियोजन विभाग उत्तरदायी है। वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं का ही छोटा भाग होती है, इन्हें वार्षिक बजट के माध्यम से भी समझा जा सकता है। प्रत्येक वार्षिक योजना पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इस प्रकार एक पंचवर्षीय योजना में पांच वार्षिक योजनाओं का निर्माण होता है। वार्षिक योजना निर्माण के अग्रलिखित चरण है :

प्रथम चरण : इसके अन्तर्गत् आगामी वित्त वर्ष की योजना के निर्माण का कार्य आगामी योजना के शुरू होने के आठ माह पूर्व (अगस्त) से शुरू हो जाता है। इसके अन्तर्गत् योजना विभाग अगस्त माह में ही राज्य के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके उनसे आगामी वित्त वर्ष की आवश्यकताओं एवं साधनों के बारे में पूर्ण ब्यौरा मंगवाता है। इस प्रकार अगस्त माह में विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा आवश्यक तथ्यों का संग्रहण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है। ये विभिन्न जिलों से प्राप्त अपने विषय से संबंधित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने–अपने विभाग की योजनाओं के प्रस्तावों की रचना प्रारम्भ कर देते है।

द्वितीय चरण : सितम्बर माह तक ये सभी प्रस्ताव नियोजन विभाग को प्रेषित कर दिए जाते हैं। इसके बाद विभाग में प्रस्तावों का सम्पादन व संशोधन किया जाता है। इसके अन्तर्गत विभाग भौतिक नियोजन व वित्तीय नियोजन के बीच समन्वय करता है तथा विभिन्न विभागों से विचारोपरान्त अक्टूबर के आरम्भ में आगे के वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना के प्रारूप तैयार करता है।

तृतीय चरण : अक्टूबर में योजना प्रारूप तैयार करके इसे राज्य के मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो कि आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन के लिए आदेश जारी कर सकता है।

चतुर्थ चरण : संशोधित योजना प्रारूप को अक्टूबर के अन्त में ही नीति आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है।

पंचम चरण : नवम्बर व दिसम्बर माह में राजस्थान की योजना के प्रारूप के संबंध में केन्द्रीय नीति आयोग तथा राज्य के

योजना विभाग के बीच काफी विचार–विमर्श होता है तथा राज्य के मंत्री व उच्च लोक सेवक नीति आयोग के समक्ष राज्य योजना के संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस विचार–विमर्श के दौरान नीति आयोग द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सन्तुलित विकास के लिए राज्य की योजना प्रारूप में कटौती की जाती है अथवा अनेक बार राज्य की मांग पर प्रस्ताव बढ़ा दिये जाते है।

शष्ठम चरण : जनवरी माह के दौरान सामान्यतया नीति आयोग द्वारा राजस्थान की योजना के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया जाता है, जिसका एक प्रमुख पहलू यह देखना होता है कि कितनी वित्तीय सहायता राज्य को प्रदान की जायेगी।

सप्तम चरण : नीति आयोग के निर्णयों से अवगत होने के पश्चात राजस्थान का योजना विभाग राज्य की योजनाओं में आवश्यक संशोधन करता है तथा इस दौरान यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्रशासनिक विभागों से उच्च स्तरीय विचार विमर्श भी करता है। इन सभी प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप निर्मित वार्षिक योजनाओं के वित्तीय प्रारूप को मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसे सामान्यतया स्वीकार कर लिया जाता है।

अष्ठम चरण : इस चरण में योजना विभाग राज्य के वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभागों से निकट संपर्क बनाये रखता है जिससे विभिन्न विषय क्षेत्रों में राज्य के वित्तीय साधनों का आवंटन सही प्रकार से किया जा सके।

नवम् चरण : इस चरण में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के कुछ ही समय पूर्व वार्षिक योजना का अन्तिम प्रलेख प्रकाशित कर दिया जाता है, जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। परन्तु यह प्रकाशन राजस्थान विधान सभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद ही किया जाता है जिससे कि योजना के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सके।

अन्तिम चरण : अन्तिम चरण में विधानसभा द्वारा बजट पास होने के बाद विभिन्न विभाग अपनी योजना के आधार पर अपने विषय से संबंधित विभिन्न जिला योजनाओं को अन्तिम रूप प्रदान करते है। इन सभी विषयवार योजनाओं के आधार पर प्रत्येक जिला अपनी योजना को समन्वित करता है।

योजना क्रियान्वयन (Implementation of Plan)

पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनाओं के निर्माण एवं उनके स्वीकृत हो जाने के बाद उनका राज्य में क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य में योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अग्रलिखित चार स्तरों के सहयोग से पूरा किया जाता है :

1. नियोजन विभाग द्वारा
2. सचिवालय स्तर के विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा
3. विभिन्न कार्यकारी विभाग, निदेशालय तथा समितियों द्वारा
4. जिला एवं खण्ड स्तर पर योजना की क्रियान्विति।

पंचवर्षीय योजनाओं को वार्षिक योजना में विभाजित करके योजना विभाग द्वारा अपनी देखरेख में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। सचिवालय स्तर के विभिन्न प्रशासनिक विभाग, योजना विभाग द्वारा सौंपे गये योजना कार्यों को पूरा करते है, इसके लिए समय–समय पर मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन योजना विभाग को प्रस्तुत करते हैं। ये प्रतिवेदन भौतिक लक्ष्यों, वित्तीय आवंटन और व्यय, अन्तर्विभागीय समस्याएँ, संस्थागत वित्त निर्माण, साख प्रगति, रोजगार के आँकड़े, प्रशिक्षण और भर्ती आदि की आवश्यकताओं इत्यादि की सूचना उपलब्ध कराते हैं। राज्य की योजना का क्रियान्वयन राज्य के कार्यकारी विभाग व निदेशालय तथा विभिन्न समितियों के माध्यम से किया जाता है। इनमें समन्वय समिति का विशेष महत्व है, जो कि योजना क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समिति योजना क्रियान्वयन के साथ–साथ योजना समन्वय का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है।

योजना का मूल्यांकन (Evaluation of Plan) :

निर्मित योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन अत्यन्त आवश्यक है। क्रियान्वयन एवं पुनः सही योजना बन सके इस हेतु मूल्यांकन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से योजना की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। राजस्थान में योजना का सामूहिक मूल्यांकन करने के लिए ''मूल्यांकन संगठन'' की स्थापना की गई है। राज्य का मूल्यांकन संगठन योजनाओं की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करता है। यह प्रतिवेदन योजना की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का विवरण प्रस्तुत करता है। इन प्रतिवेदनों के आधार पर नियोजन निष्पादन की त्रुटियों को सुधारा जा सकता है।

योजना मण्डल (Planning Board) :

भारत में संविधान लागू होने के समय तक राज्य स्तर पर नियोजन तंत्र को सशक्त बनाने के लिए कोई सुनियोजित कदम नहीं उठाये गये थे। उस समय के योजना आयोग ने सन् 1962 में राज्यों को परामर्श दिया कि योजना आयोग की भांति ही प्रत्येक राज्य में योजना मण्डल स्थापित किया जाए जो राज्य में योजना की दिशा में मुख्य नीति–निर्धारण कार्य करे और योजना क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी समाधान करे। आयोग ने राज्य योजना मण्डल के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया उसके अनुसार योजना मण्डल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री उसका सदस्य हो। केन्द्रीय योजना आयोग की भाँति ही राज्य योजना मण्डल में भी दो–तीन पूर्णकालिक सदस्य हों जिन्हें राज्य की आर्थिक समस्याओं और योजना के बारे में पर्याप्त अनुभव हों। आयोग का विचार था कि राज्य योजना मण्डल राज्य योजना विभाग की तुलना में नियोजन समस्याओं का अधिक सफलतापूर्वक समाधान कर सकेगा, चूंकि ये मण्डल विशेषज्ञ प्रकृति के होंगे।

योजना आयोग की भाँति प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और उसके अध्ययन दल (1967) ने भी राज्य योजना मण्डलों की स्थापना का परामर्श दिया। राजस्थान में 1963 में राजस्थान की प्रशासनिक सुधार समिति (हरिश्चन्द्र माथुर समिति) ने भी **राज्य आयोजना तथा विकास आयोग** के नाम से ऐसी ही संस्था गठित करने का सुझाव दिया। राजस्थान में

1973 में योजना मण्डल की स्थापना की गई।

योजना मण्डल : उद्देश्य

योजनाएँ विकास प्रशासन से सम्बन्धित होती है। विकास प्रशासन वह प्रशासन है जो विकास के कार्यों में लगा हुआ है। विकास की प्रकृति विशेषज्ञता लिए हुए होती है अतः योजनाओं के कुशलतापूर्वक निर्माण क्रियान्वयन व मूल्यांकन में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान राज्य में योजना मण्डल का गठन किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य अग्रलिखित है :

1.योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन जटिल कार्य है अतः विशेषज्ञों से युक्त सशक्त निकाय आवश्यक है।

2 .योजनाओं में स्थायित्व तथा राजनीतिक प्रभाव में कमी हेतु मण्डल की स्थापना की आवश्यकता है।

3. नियोजन विभाग, राज्य सरकारों के परम्परागत नौकरशाही के संगठन हैं जबकि योजना मंडल एक स्वतंत्र निकाय होगा।

4. वर्तमान नियोजन तंत्र उपलब्ध साधनों की क्षमता का मूल्यांकन कर पाने में पूर्ण सक्षम नहीं है।

5. योजना आयोग की तरह राज्यों में योजना मण्डल बनने से केन्द्र राज्य सामंजस्य सुदृढ़ बनेगा।

6. योजना मण्डल नियोजन कार्यक्रमों की प्राथमिकता के निर्धारण में तर्क–संगत वितरण कर पाने में सक्षम होगा।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही राजस्थान में राज्य आयोजन मण्डल (State Planning Board) की स्थापना की गई। यह मण्डल आधारभूत रूप से एक परामर्शदात्री निकाय है जो सरकार को नियोजन के मामलों में सलाह देता हैं।

राज्य योजना मण्डल का संगठन (Organization of State Planning Board):

योजना मण्डल की संरचना किस प्रकार की हो, इस संबंध में समय–समय पर विभिन्न सुझाव दिये गये हैं। भारतीय योजना आयोग का सुझाव था कि इस मण्डल का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए तथा वित्तमंत्री, योजना राज्यमंत्री तथा योजना विशेषज्ञ इसके सदस्य होने चाहिए।

सामान्यतः राजस्थान में योजना मण्डल की संरचना निम्नलिखित चार्ट के अनुरूप रही है।

स्थापना के समय राज्य योजना मण्डल के संगठन में अध्यक्ष (मुख्यमंत्री) एक उपाध्यक्ष (वित्त एवं योजना मंत्री) तथा 17 अन्य सदस्य थे। सदस्यों में 4 क्षेत्रीय विशेषज्ञ, एक संसद सदस्य, दो विधानसभा सदस्य तथा 3 प्रशासकीय सदस्य (मुख्य सचिव, कृषि उत्पाद सचिव, नियोजक सचिव) थे।

उसके पश्चात् इस मण्डल की 25 जून, 1973 को प्रथम बैठक तथा 4 सितम्बर, 1975 को द्वितीय बैठक हुई। लम्बे समय तक निष्क्रिय रहे इस मण्डल को 1978, 1988, 1990, 1994, 1997 तथा 1999 में बार–बार पुनर्गठित किया जाता रहा है। इस प्रकार विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या लगभग 20 तक पहुंच गई तथा राज्य आयोजना मण्डल का आकार 40 से 65 सदस्यों से युक्त एक निष्क्रिय समिति जैसा होता चला गया।

राज्य योजना मण्डल को प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने सन् 1996 में केरल, कर्नाटक तथा आन्ध्रप्रदेश राज्यों के राज्य योजना आयोगों का अध्ययन करवाया तथा यह निष्चय किया गया कि राज्य योजना मण्डल का आकार छोटा किया जाए तथा इसमें पूर्णकालिक उपाध्यक्ष पद सृजित किया जाए। इस प्रकार राज्य योजना मण्डल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान यह दायित्व राज्यपाल निभाता है। राज्यपाल यह कार्य किसी सलाहकार या मुख्य सचिव के माध्यम से करता है। कुछ राज्यों में उपाध्यक्ष का पद राज्य के वित्तमंत्री या योजना मंत्री द्वारा धारण किया जाता हैं। कुछ राज्यों में विशेषज्ञ सदस्य को यह पद दिया जाता है। सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हैं राज्य योजना मण्डल की स्थापना से लकर आज तक योजना विभाग ही मण्डल के सचिवालय के रूप में कार्य करता रहा है।

सामान्यतः राजस्थान सहित अधिकांश राज्यों में राज्य योजना मण्डल सुनियोजित तरीके से योजना कार्य नहीं कर रहे हैं और न ही इनकी नियमित बैठकें हो रही है। राज्य योजना मण्डल के पास स्थायी रूप से पृथक प्रशासनिक संरचना तथा सचिवालय नहीं होता है, बल्कि राज्य योजना विभाग का एक ग्रुप इस कार्य में सहयोग देता है। राज्य योजना मण्डल अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु बहुधा कुछ कार्य दलों या समितियों का निर्माण कर लेते है।

आयोजना मण्डल के कार्य (Functions of Planning Board) :

केन्द्रीय योजना आयोग के सुझाव के अनुसार अनेक राज्य सरकारों ने राज्य योजना मण्डलों का गठन किया। कतिपय राज्यों में इनका नामकरण भी भिन्न–भिन्न रखा गया। राज्य योजना मण्डल के कार्यों के संबंध में अभी तक

योजना मण्डल

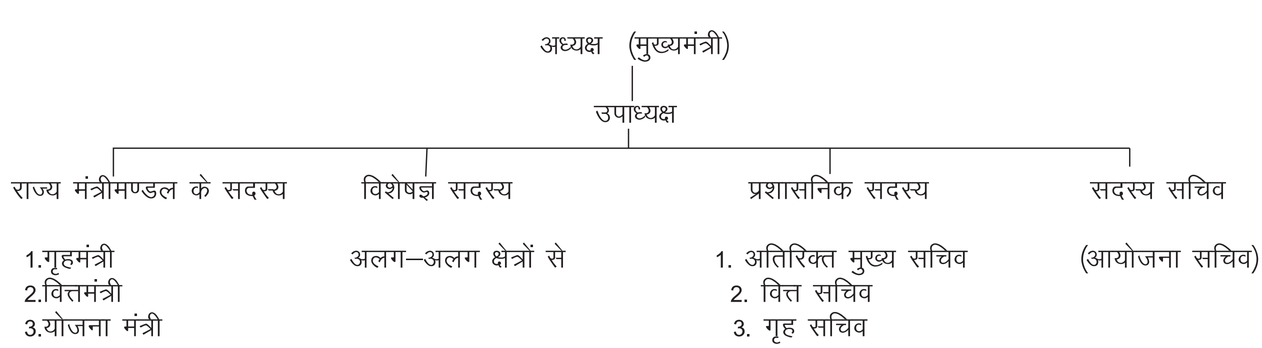

मतैक्य स्थापित नहीं हो पाया है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित हरिश्चन्द्र माथुर समिति ने मण्डल के कार्य इस प्रकार प्रस्तावित किये थे :

1. दूरगामी योजना तथा योजना निर्माण अध्ययन क्रम में मंत्रिमण्डल को परामर्श देना।
2. आवश्यकता होने पर योजना का पुनर्निर्धारण या स्पष्टीकरण करना।
3. पंचायतीराज संस्थाओं को अनुदान देने के क्रम में वित्त आयोग जैसी भूमिका निभाना।
4. राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष ध्यान देना।
5. विभिन्न देशों तथा भारत के राज्यों के राज्य स्तरीय नियोजन तंत्र की विशेषताओं का अध्ययन करना जिससे राजस्थान राज्य भी लाभान्वित हो सके।
6. योजना कार्यक्रमों की प्रगति के क्रम में सतत् निगरानी रखना, प्रतिवेदन करना तथा मण्डल की जानकारी में कमियां आते ही चेतावनी देना और यदि आवश्यक हो तो दौरे करना।
7. राजस्थान नहर क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक नियोजन का विशेष ध्यान रखना।
8. राज्य में लोक उपक्रमों के नियोजन तथा प्रगति को निर्देशित करना।
9. विकास परियोजनाओं विशेषतः लाभार्जन करने वाली योजनाओं की नियमित निगरानी रखना।
10. योजनाओं के निर्माण तथा पुनर्निर्धारण में राष्ट्रीय विकास परिषद् के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना।

इस प्रकार राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने राज्य योजना मण्डल के कार्यक्षेत्र को अत्यन्त व्यापक तथा महत्वपूर्ण माना था जिससे राज्य का विकास प्रभावी ढंग से हो सके। दूसरी ओर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1967 में यह पाया कि इन राज्य योजना मण्डलों के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है तथा उनकी प्रगति भी संतोषजनक नहीं रही है। अतः प्रशासनिक सुधार ने अपनी सिफारिशों में राज्य योजना मण्डलों के अग्रांकित कार्य सुझाये हैं

1. राज्य के संसाधनों का आंकलन करना तथा इसके प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजनाओं का निर्माण करना।
2. राष्ट्रीय योजनाओं की प्राथमिकताओं के दायरे में राज्य की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना।
3. योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों के मध्य संतुलन स्थापित करना।
4. जिला–स्तरीय अधिकारियों को उन क्षेत्रों में विकास योजनाएं बनाने में सहायता प्रदान करना। तथा उनका राज्य योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।
5. राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में बाधक कारकों का पता लगाना तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक स्थितियों का खुलासा करना।

राज्य सरकार ने सन् 1973 में राज्य योजना मण्डल की स्थापना करते हुए निम्नांकित कार्य निर्धारित किये थे :

1. राजस्थान के स्थायी विकास हेतु दीर्घकालीन योजना के स्वरूप में परामर्श देना।
2. विकास हेतु नीति निर्धारण करना।
3. राष्ट्रीय योजना के दायरे के अन्तर्गत् उपलब्ध वैज्ञानिक एवं आर्थिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य योजना में क्षेत्रवार प्राथमिकताओं का निर्धारण करना।
4. परियोजना निर्माण तथा आँकड़ा एकत्रण हेतु आर्थिक अध्ययनों को शुरू करना,
5. योजना के निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन में परामर्श प्रदान करना,
6. विशेष पिछड़े हुये क्षेत्रों हेतु क्षेत्रीय विकास योजनाओं एवं जिला योजनाओं के कार्यक्रमों को निर्देशित करना
7. योजना–कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कदम सुझाना,
8. योजना विभाग, जिला योजना समितियों तथा योजना आयोग के साथ समन्वय स्थापित करना।
9. राज्य में आधारभूत ढांचे के पिछड़ेपन को देखते हुये आधारभूत सुविधाओं हेतु विकास योजनाएं, जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी निवेश हेतु परामर्श देना।

इस प्रकार राज्य योजना मण्डल से उसी प्रकार की भूमिका की अपेक्षा राज्य में की गई है जैसी भूमिका केन्द्रीय योजना आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाहित करता रहा है, किन्तु विगत 43 वर्ष (वर्ष 1973 से) का अनुभव यह सिद्ध करता है कि राज्यों के योजना मण्डल बहुत सारी न्यूनताओं तथा विसंगतियों से ग्रस्त रहे हैं। सम्पूर्ण देश में गठित राज्य योजना मण्डलों की संरचना तथा कार्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, न ही इनकी कार्यप्रणाली में एकरूपता पायी जाती है। इनका आकार भी प्रायः बड़ा रहा है। राजस्थान में तो इसमें कई बार 60–65 सदस्य रहे है तो पश्चिम बंगाल तथा केरल में यह संख्या 25–30 की रही है। इस व्यापक आकार के कारण न तो मण्डल समय पर बैठक कर पाते हैं न ही कोई सार्थक बहस होती है। मण्डल के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के सम्बन्ध में भी एकरूपता नहीं है। कभी सदस्य अंशकालिक तो कभी पूर्णकालिक रखे जाते है। कभी उपाध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो कभी नहीं। यह सब सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। अधिकांश राज्यों में राज्य योजना मण्डल का पृथक से सचिवालय (कार्यालय) तथा प्रशासनिक तंत्र नहीं है बल्कि मंडल को राज्य योजना विभाग से ही सचिवालयीय सहायता मिलती रही है। राज्य योजना मण्डल के सदस्यों के मध्य स्पष्ट कार्य–विभाजन नहीं पाया जाता है अतः कहा जा सकता है कि इन मण्डलों में सामूहिकता का बोलबाला है। कटु सत्य यह भी है कि सभी की जिम्मेदारी, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। स्पष्ट है इससे योजना कार्य विपरीत रूप में प्रभावित होता है।

वास्तविकता में राज्य योजना मण्डल को केन्द्रीय नीति आयोग जैसा स्तर देने तथा वैसी भूमिका सुनिश्चित करने में किंचित व्यावहारिक बाधाएं है। केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग (अब नीति आयोग) ही योजना मंत्रालय की भूमिका निभाता आया है जबकि राज्यों में योजना विभाग की भूमिका प्राथमिक बनी हुई है। दूसरा चिन्तन का बिन्दु यह है कि योजना निर्माण तथा स्वीकृति का कार्य अधिकांशतः केन्द्रीय स्तर पर हो जाता है अतः राज्यों की भूमिका सीमित हो जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब निर्देशात्मक नियोजन का समय बीत गया है तथा उदारीकरण, वैश्वीकरण

एवं निजीकरण के युग में संकेतात्मक नियोजन (Indicative Planning) का प्रचलन बढ़ा है। ऐसे में राजस्थान के आयोजना मण्डल के दायित्वों एवं संरचना में भी शीघ्र आवश्यकतानुसार सुधार हो सकते है। यद्यपि राजस्थान में विभिन्न सरकारें आयोजन मण्डल में कतिपय परिवर्तन लाती रही है। केन्द्र सरकार ने इसी परिप्रेक्ष्य में योजना आयोग की जगह 1 जनवरी, 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया है। संभवतः विभिन्न राज्य सरकारे भी केन्द्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर अपने–अपने आयोजना मण्डल में सुधार करे जिससे ये ज्यादा प्रभावशाली बन सके।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. स्वतंत्रता के समय राज्य में केवल 8.5 प्रतिशत साक्षरता थी, पिछड़ी हुई कृषि प्रणाली थी, राज्य के दो तिहाई क्षेत्र में मरूस्थल था, पेयजल की अनुपलब्धता थी। खनिजों के खनन का कार्य अत्यन्त सीमित था।
2. राजस्थान में नियोजन विभाग अलग–अलग ग्रुप में बंटा है। प्रत्येक ग्रुप किसी विशिष्ट उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है।
3. भारतीय प्रशासन में एक संघात्मक व्यवस्था है जिसके अनुसार योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन का दायित्व केन्द्र के साथ–साथ राज्यों पर भी है।
4. राजस्थान में योजना विभाग की स्थापना सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जुलाई, 1953 में की गई थी।
5. सन् 1967 तक राजस्थान राज्य में योजना के लिए योजना विभाग ही उत्तरदायी था। यह विभाग मुख्यमंत्री अथवा वित्तमंत्री के अधिकार क्षेत्र में रहता था और राज्य का मुख्य सचिव ही इस विभाग का सचिव हुआ करता था।
6. राज्य योजना विभाग के अधीन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जनशक्ति एवं गजेटियर्स निदेशालय तथा मूल्यांकन संगठन कार्यकारी संगठनों के रूप में कार्यरत है तथापि ये योजना के सहायक अभिकरण ही है, योजना विभाग के प्रत्यक्ष कार्यकारी निकाय नहीं है।
7. राज्य योजना विभाग सचिवालय स्तर पर विकास कार्यक्रमों, योजनाओं के निर्माण एवं समन्वय के लिए मुख्य उत्तरदायी संस्था है।
8. राज्य योजना विभाग राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं का निर्माण करता है।
9. केन्द्रीय योजना आयोग की भांति ही प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1967 में राज्य आयोजन मण्डलों की स्थापना का परामर्श दिया था।
10. सन् 1963 में राजस्थान की प्रशासनिक सुधार समिति ने राजस्थान में योजना मण्डल का नाम राज्य योजना तथा विकास आयोग सुझाया था। जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका नाम राज्य योजना मण्डल रखा था।
11. राजस्थान में राज्य योजना मण्डल की स्थापना 6 फरवरी, 1973 को हुई थी। फरवरी, 1997 को राजस्थान सरकार ने योजना मण्डल को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डलीय समिति के आदेश द्वारा पुनर्गठित करने का प्रयास किया।
12. राज्य योजना मण्डल से उसी प्रकार की भूमिका की अपेक्षा की गई है जैसी भूमिका केन्द्रीय योजना आयोग राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाह करता किन्तु विगत चार दशकों के अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि राज्यों के योजना मण्डल बहुत सारी न्यूनताओं तथा विसंगतियों से ग्रस्त रहे हैं।
13. वर्तमान में राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) का क्रियान्वयन हो रहा है।
14. उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण के युग में संकेतात्मक नियोजन (Indicative Planning) का प्रचलन बढ़ा है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न :

1. राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई ?
(अ) 1953 (ब) 1973 (स) 1950 (द) 1952
2. राज्य नियोजन विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई ?
(अ) राज्यपाल (ब) प्रधानमंत्री
(स) मुख्यमंत्री (द) मुख्य सचिव
3. राज्य नियोजन विभाग का कार्य है ।
(अ) वार्षिक योजनाओं का निर्माण
(ब) पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण
(स) योजना हेतु वित्तीय संसाधनों का प्रबन्ध
(द) उपर्युक्त सभी
4. राज्य नियोजन विभाग के क्रिया–कलापों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है ?
(अ) राज्यपाल (ब) राज्य नियोजन मंत्री
(स) मुख्य सचिव (द) गृहमंत्री
5. राज्य नियोजन विभाग से संलग्न अभिकरण हैं ?
(अ) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
(ब) मूल्यांकन संगठन
(स) जनशक्ति एवं गजेटियर्स निदेशालय
(द) उपर्युक्त सभी
6. राजस्थान में आयोजना मण्डल की स्थापना कब हुई ?
(अ) 6 फरवरी, 1973 (ब) 15 जुलाई, 1953
(स) 15 मार्च, 1950 (द) 6 अगस्त, 1952
7. राज्य योजना मण्डल के अध्यक्ष होते है :
(अ) मुख्यमंत्री (ब) राज्यपाल
(स) वित्तमंत्री (द) मुख्य सचिव

8. राजस्थान में योजना मण्डल एक –
(अ) आदेशात्मक निकाय है
(ब) परामर्शदात्री निकाय है
(स) परामर्शदात्री निकाय नहीं है
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं है

9. प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य योजना मण्डलों की स्थापना का सुझाव दिया था ।
(अ) 1963 (ब) 1967
(स) 1988 (द) 1997

10. राजस्थान की प्रशासनिक सुधार समिति ने राज्य योजना मण्डल का नाम सुझाया था ।
(अ) राज्य योजना मण्डल
(ब) मूल्यांकन आयोग
(स) राज्य योजना तथा विकास आयोग
(द) उपर्युक्त सभी

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. राजस्थान में योजना विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब की गयी थी ?
2. राज्य योजना विभाग का प्रमुख कार्य क्या है ?
3. सामान्यतः योजना विभाग का अध्यक्ष कौन होता है ?
4. राज्य योजना विभाग के अधीन कौन–कौन से संगठन कार्यरत हैं ?
5. राज्य की योजनाएं किस की देखरेख में तैयार की जाती है ?
6. राजस्थान में राज्य योजना मण्डल का गठन पहली बार कब किया गया था ?
7. राज्य योजना मण्डल का अध्यक्ष कौन होता है ?
8. राजस्थान में योजना मण्डल किस प्रकृति का निकाय है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. राजस्थान में नियोजन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
2. राज्य स्तर के योजना तंत्र से आप क्या समझते हैं?
3. राज्य में योजना विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी ?
4. संक्षेप में योजना विभाग के संगठन एवं कार्यप्रणाली के विकास को लिखिये।
5. योजना विभाग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिये।
6. योजना विभाग के संगठन का संक्षेप वर्णन कीजिये।
7. राज्य योजना मण्डल के संदर्भ में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लिखिए।
8. राज्य योजना मण्डल की स्थापना के उद्देश्यों को लिखिए।

निबंधात्मक प्रश्न :

1. योजना विभाग के अधीन कार्यरत संगठनों का वर्णन कीजिये।
2. योजना विभाग के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिये।
3. राजस्थान राज्य में निर्धारित योजना प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।
4. राज्य योजना मण्डल के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिये।
5. नियोजन को समझाते हुए राजस्थान में नियोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।

उत्तरमाला :

1. (अ)	2. (स)	3. (द)
4. (ब)	5. (द)	6. (अ)
7. (अ)	8. (ब)	9. (ब)
10. (स)		